न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 106/24

वादी :–

1–प्रहलादसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासी रोहिसा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1–मदनसिंह पुत्र नारायणसिंह
2–अशोकसिंह पुत्र मदनसिंह
3–राजूदेवी पुत्री मदनसिंह
सभी जातियान रावणा राजपूत निवासीगण रोहिसा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
4–तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबज बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 5/7/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है और हिन्दु मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल गर्वन होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सगे भाई बहन है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है।

2–यह है कि मौजा राहिसा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1335/636 रकबा 0.8200 हैक्टर,खसरा नंबर 1336/636 रकबा 1.7000 हैक्टी, खसरा नंबर 634 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 636 रकबा 3.3000 हैक्टर,खसरा नंबर 646 रकबा 0.8300 हैक्टर, खसरा नंबर 788 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 789 रकबा 0.4400 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त काश्त व कब्जासुदा आई हुई है। उक्त सँपूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का सहूलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि को आगे मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने वादग्रस्त आरजी का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है बंटवारा निम्न प्रकार से है :–

वादी प्रहलादसिंह के बंट में–

मौजा रोहिसा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1335/636 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नंबर 636 रकबा 3.3000 हैक्टर में सें रकबा 1.6800 हैक्टर उतरी तरफ व खसरा नंबर 646 कबा 0.8300 हैक्टर कुल रकबा 3.3300 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट'क' अनुसार।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

प्रतिवादी मदनसिह के बंट में –
मौजा रोहिसा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 788 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 789 रकबा 0.4400 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार।
3–प्रतिवादी संख्या 2 अशोकसिंह के बंट में–
मौजा रोहिसा के खेत खसरा नंबर 1336 / 636 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 634 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 636 रकबा 3.3000 हैक्टर में सें रकबा 1.6200 हैक्टर दक्षिणी तरफ का कुल रकबा 3.3300 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट ''क' अनुसार।
नोट–प्रतिवादी संख्या 3 अपने हक व बंट की ऐवज में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का कोई हक व बंट नहीं रखा गया है।
4–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग अलग सीवें माठे कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू वाद पेश है।
4–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा हर्जा के निम्न प्रकार से सादिर फरमावें।
ए. यह है कि घोषणा की डिक्री इस प्रकार की सादिर फरमायी जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की घोषित कीजावें।
बी.यह है कि मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें तथा उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व बिगौड़ी की रकम अलग की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादी मय वकील के दिनांक 14.5.2024 को हाजिर न्यायालय होकर अपना राजीनामा पेश किया गया।जो बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक है और उतराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। मौके पर बंटवारा किया हुआ है और सीवें माठे कायम की हुई है मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ है अतः संलग्न परिशिष्ट के अनुसार बंटवाड़ा किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी मौजा रोहिसा संवत् 2073–76 का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत में प्राप्त आराजी का उसमें सभी उतराधिकारीयो का समान हक बंट व अधिकार प्राप्त होते है। इसलिए राजीनामा भी पेश कर दिया गया है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि का बंटवाड़ा उनके विधिक वारिसान के बीच किया जाना लाजमी है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारन के बीच निम्न प्रकार से विधिवत बंटवारा किया जाकर खातेदारी की घोषणा संलग्न परिशिष्ट अनुसार की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

वादी प्रहलादसिंह के बंट में–

मौजा रोहिसा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1335 / 636 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नंबर 636 रकबा 3.3000 हैक्टर में सें रकबा 1.6800 हैक्टर उतरी तरफ व खसरा नंबर 646 कबा 0.8300 हैक्टर कुल रकबा 3.3300 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट'क' अनुसार।

प्रतिवादी मदनसिह के बंट में –

मौजा रोहिसा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 788 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 789 रकबा 0.4400 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार।

3–प्रतिवादी संख्या 2 अशोकसिंह के बंट में–

मौजा रोहिसा के खेत खसरा नंबर 1336 / 636 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 634 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 636 रकबा 3.3000 हैक्टर में सें रकबा 1.6200 हैक्टर दक्षिणी तरफ का कुल रकबा 3.3300 हैक्टर। संलग्न परिशिष्ट ''क' अनुसार।

तहसीलदार रियांबडी उपर्युक्त बंटवाड़ा के अनुसार संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर सेपरेट पजेशन कायम करवावें व लगांन अलग से कायम करवावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हौ। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हौ।

निर्णय आज दिनांक 5/2/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
जिला–नागौर